**भारत सरकार**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**

**पशुपालन और डेयरी विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 534**

**दिनांक 6 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न**

**राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम**

**534. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य- वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस मिशन के अंतर्गत किसानों के प्रशिक्षण का कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**

**(श्री परशोत्तम रूपाला)**

(क) और (ख) जी, हां। पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), भारत सरकार फरवरी-2014 से देश भर में "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)" योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए जुलाई 2021 में निम्नलिखित दो घटकों के साथ पुनर्गठित/पुनर्संरेखित किया गया है:

(i) एनपीडीडी का घटक 'क' राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/एसएचजी/दूध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दुग्ध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं हेतु अवसंरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।

(ii) एनपीडीडी योजना "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" के घटक 'ख' का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना का उन्नयन करके तथा उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना है।

(ग) एनपीडीडी मांग आधारित योजना है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कोई आबंटन नहीं किए गए। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुमोदित परियोजना परिव्यय, जारी की गई निधियों और उनके तदनुरूपी उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) एनपीडीडी योजना के घटक 'क' के अंतर्गत किसानों को अच्छी स्वच्छता पद्धतियों/अच्छी विनिर्माण पद्धतियों आदि के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एनपीडीडी योजना के घटक

‘ख’ के तहत, स्वच्छ दूध उत्पादन और अच्छी स्वच्छता पद्धतियों, दुधारू पशु पालन, गोपशु चारे, हरे चारे और खनिज मिश्रण आदि को अपनाने के संबंध में किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अनुमोदित किसानों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा **अनुबंध-।।** में दिया गया है।

(ड.) डीएएचडी डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है:-

i. राष्ट्रीय गोकुल मिशन
ii. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम
iii. राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत आहार और चारा विकास घटक
iv. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम
v. पशुधन और अवसंरचना विकास निधि

सरकार ने पशुपालक किसानों की कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा का विस्तार भी किया है।

.......

अनुबंध-I

**"राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)" योजना के तहत राज्य-वार अनुमोदित, जारी और उपयोग की गई निधियां**

(करोड़ रु. में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अनुमोदित परिव्यय@ | | जारी और उपयोग की गई कुल निधियां | | जारी और उपयोग की गई निधिया (पिछले तीन साल और चालू वर्ष) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल | केंद्रीय हिस्सा | जारी | उपयोग | जारी | उपयोग |
| **घटक क#** | | | | | | | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 235.05 | 162.25 | 62.19 | 33.11 | 40.07 | 10.99 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 11.91 | 11.26 | 8.84 | 3.72 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | असम | 34.36 | 32.65 | 4.55 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | बिहार | 263.23 | 210.19 | 204.07 | 181.82 | 102.41 | 89.11 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 23.39 | 20.96 | 11.14 | 8.61 | 2.51 | 2.30 |
| 6 | गोवा | 16.90 | 13.93 | 8.74 | 1.78 | 0.40 | 0.40 |
| 7 | गुजरात | 552.82 | 337.52 | 207.04 | 105.77 | 147.14 | 53.57 |
| 8 | हरियाणा | 25.24 | 21.33 | 19.32 | 13.33 | 5.03 | 0.87 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 57.16 | 52.39 | 43.58 | 35.71 | 23.89 | 16.03 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 151.12 | 139.81 | 121.57 | 115.50 | 89.76 | 83.68 |
| 11 | झारखंड | 31.54 | 25.02 | 12.55 | 9.76 | 5.36 | 3.22 |
| 12 | कर्नाटक | 408.39 | 281.72 | 183.91 | 135.91 | 147.06 | 99.07 |
| 13 | केरल | 181.82 | 134.11 | 122.96 | 112.82 | 41.18 | 31.60 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 71.29 | 59.36 | 54.70 | 53.71 | 10.63 | 9.63 |
| 15 | महाराष्ट्र | 51.77 | 46.46 | 38.84 | 36.02 | 23.85 | 21.03 |
| 16 | मणिपुर | 30.29 | 27.85 | 23.41 | 16.40 | 14.17 | 7.15 |
| 17 | मेघालय | 63.94 | 57.80 | 47.69 | 43.95 | 33.26 | 29.53 |
| 18 | मिजोरम | 11.01 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 0.20 | 0.20 |
| 19 | नागालैंड | 13.06 | 12.15 | 12.15 | 10.20 | 4.11 | 2.17 |
| 20 | ओडिशा | 62.60 | 55.33 | 48.24 | 43.46 | 13.24 | 8.84 |
| 21 | पुडुचेरी | 4.38 | 4.21 | 3.47 | 3.14 | 0.64 | 0.39 |
| 22 | पंजाब | 251.21 | 167.19 | 125.32 | 116.80 | 64.37 | 55.85 |
| 23 | राजस्थान | 292.15 | 214.72 | 185.25 | 159.78 | 90.10 | 58.00 |
| 24 | सिक्किम | 53.72 | 49.62 | 42.45 | 39.84 | 28.82 | 26.21 |
| 25 | तमिलनाडु | 259.23 | 182.10 | 136.42 | 120.24 | 86.35 | 70.17 |
| 26 | तेलंगाना | 89.16 | 69.67 | 37.71 | 29.69 | 20.02 | 12.20 |
| 27 | त्रिपुरा | 22.92 | 20.26 | 17.24 | 15.58 | 3.81 | 2.15 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 81.84 | 68.43 | 45.08 | 7.52 | 0.49 | 0.00 |
| 29 | उत्तराखंड | 75.04 | 64.12 | 47.82 | 41.03 | 15.82 | 9.03 |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 4.03 | 3.93 | 3.63 | 3.56 | 0.71 | 0.71 |
| | **कुल** | **3430.57** | **2556.67** | **1890.19** | **1509.88** | **1015.41** | **704.10** |

# घटक क के अंतर्गत, स्कीम की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को निधियां जारी की गई थीं

@ अनुमोदित परिव्यय वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 (31.01.2024 तक) तक एनपीडीडी योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का संचयी परिव्यय है

जारी .. /...

**(करोड़ रु. में)**

| **घटक-ख** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **राज्य** | **अनुमोदित परिव्यय$** | | | | **जारी किया गया ऋण** | **जारी किया गया अनुदान** |
| | | **कुल** | **ओडीए ऋण** | **अनुदान** | **पीआई का योगदान** | | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 129.00 | 63.82 | 62.94 | 2.24 | 0.00 | 0.50 |
| 2 | बिहार | 58.04 | 19.44 | 34.87 | 3.73 | 0.90 | 4.13 |
| 3 | मध्य प्रदेश | 76.50 | 50.00 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | पंजाब | 371.18 | 286.37 | 54.52 | 30.29 | 3.97 | 6.32 |
| 5 | राजस्थान | 276.96 | 184.49 | 72.73 | 19.74 | 8.35 | 13.17 |
| 6 | तेलंगाना | 90.71 | 71.53 | 12.46 | 6.72 | 21.77 | 2.03 |
| 7 | उत्तर प्रदेश | 121.86 | 29.90 | 86.43 | 5.53 | 5.97 | 12.07 |
| 8 | उत्तराखंड | 6.39 | 0.00 | 5.76 | 0.63 | 0.00 | 1.35 |
| | **कुल** | **1130.64** | **705.55** | **329.71** | **95.38** | **40.96** | **39.57** |

ओडीए ऋण- जेआईसीए से आधिकारिक विकास सहायता ऋण; पीआई-भाग लेने वाली संस्था

$ अनुमोदित परिव्यय वर्ष 2022-23 से वर्ष 2023-24 (31.01.2024 तक) तक अनुमोदित परियोजनाओं का संचयी परिव्यय है।

अनुबंध-II

**पुनर्गठित एनपीडीडी योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यकलापों के लिए किसानों की राज्यवार अनुमोदित संख्या (31.01.2024 तक)**

| क्र.सं. | राज्य | किसानों की संख्या |
|---|---|---|
| **घटक क** | | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 358361 |
| 2 | हिमाचल प्रदेश | 7000 |
| 3 | झारखंड | 11500 |
| 4 | कर्नाटक | 7194 |
| 5 | केरल | 2019 |
| 6 | मेघालय | 1530 |
| 7 | ओडिशा | 12950 |
| 8 | पुडुचेरी | 1000 |
| 9 | पंजाब | 14224 |
| 10 | राजस्थान | 42926 |
| 11 | सिक्किम | 1600 |
| 12 | तमिलनाडु | 75677 |
| 13 | तेलंगाना | 35194 |
| 14 | उत्तर प्रदेश | 26400 |
| 15 | उत्तराखंड | 8700 |
| | **कुल** | **606275** |
| **घटक ख** | | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 255550 |
| 2 | बिहार | 30648 |
| 3 | मध्य प्रदेश | - |
| 4 | पंजाब | 95994 |
| 5 | राजस्थान | 142798 |
| 6 | तेलंगाना | 4732 |
| 7 | उत्तर प्रदेश | 256386 |
| 8 | उत्तराखंड | 1250 |
| | **कुल** | **787358** |